अपील सूचना अधिकार संख्या 53/2023(GCMS 2023/236) (आरटीआई नं. 212352199948477) श्री कृष्ण कुक्कड़ पुत्र श्री शिवराम निवासी 1–103 हाऊसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन/विकास, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.11.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड दिनांक 08.11.2023 स्वयं उपस्थित हुए। आज उपस्थित नहीं हुए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र से सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे आधी अधूरी सूचना देकर पूर्ण सूचना देने से जानबूझकर इंकार कर दिया, इसलिए उसने ने यह अपील लोक सूचना अधिकारी से पूर्ण वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कृष्ण कुक्कड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) से निम्न सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. गवाह सुरजाराम मील व कामिनी जिंदल की मौजूदगी में बी डी अग्रवाल द्वारा श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज बनाने हेतु राजस्थान सरकार के साथ किए एमओयू की शर्त संख्या 2.6.3 के तहत बैंक गारंटी राशि 21 करोड़ 50 लाख रूपये जब्त करने बाबत जिला कलक्टर एवं राजस्थान सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही/एमओयू निरस्त करने बाबत पारित आदेश की सत्यप्रतियां दी जावे
2. श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज बनाने हेतु सरकार व बी डी अग्रवाल के साथ लिखित एमओयू के तहत बी डी अग्रवाल द्वारा जमा करवाई गई गांरटी राशि 21 करोड़ 50 लाख रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बी डी अग्रवाल की तथाकथित उत्तराधिकारी श्रीमती कामिनी जिंदल को वापिस लौटाने बाबत राजस्थान सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से हासिल अनुमति आदेश की सत्यापित प्रति दी जावे।

3. बी डी अग्रवाल की तथाकथित उत्तराधिकारी श्रीमती कामिनी जिंदल द्वारा गारंटी राशि वापिस लौटाने बाबत पेश आवेदन पत्र एवं अनुबंध अधिनियम के तहत पेश क्षतिपूर्ति बंध पत्र की सत्यप्रतियां दी जावे।

4. बी डी अग्रवाल की तथाकथित उत्तराधिकारी श्रीमती कामिनी जिंदल द्वारा बैंक में जमा गांरटी राशि 21 करोड़ 50 लाख रूपये प्राप्त करने बाबत जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष पेश आवेदन पत्र पर स्वीकार करके जिला न्यायाधीश द्वारा प्रतिभूति राशि वापिस लौटाने बाबत पारित आदेश एवं कामिनी जिंदल द्वारा पेश क्षतिपूर्ति बंध पत्र की सत्यप्रति दी जावे।

5. बी डी अग्रवाल की तथाकथित उत्तराधिकारी श्रीमती कामिनी जिंदल को प्रतिभूति राशि 21 करोड़ 50 लाख रूपये वापिस लौटाने बाबत जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश की सत्यप्रति दी जावे।

6. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा एमओयू निरस्त करने बाबत बी डी अग्रवाल को प्रेषित नोटिस एवं बी डी अग्रवाल द्वारा प्रेषित जवाब नोटिस की सत्यापित प्रतियां दी जावे।

7. पंजाब नेशनल बैंक श्रीगंगानगर द्वारा जिला कलक्टर व राजस्थान सरकार के आदेश पर श्रीमती कामिनी जिंदल को गांरटी राशि 21 करोड़ 50 लाख रूपये वापिस लौटा कर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित सूचना व क्षतिपूर्ति बंध पत्र की सत्य प्रतियां दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rain
Date: 2023.12.08 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ. 41(1)(1)विविध/विकास/2023/6469 दिनांक 17.05.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके कार्यालय से प्राप्त प्रासंगिक पत्रानुसार अपील लोक सूचना अधिकार अधि. सं. 53/2023 जीसीएमएस नं. 2023/236 कृष्ण कुक्कड बनाम प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, रीगंगानगर तारीख पेशी 06.11.2023 के क्रम में लेख है कि उक्त अपील में आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय हाजा में उपलब्ध सूचना/रिकॉर्ड का आवेदक को स्वयं व्यक्तिशः चिन्हित/अवलोकन करवाते हुए बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवाई गई थी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का विवरण	कार्यालय हाजा में उपलब्ध सूचना
1	गवाह सुरजाराम मील व कामिनी जिंदल की मौजूदगी में बी डी अग्रवाल द्वारा श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज बनाने हेतु राजस्थान सरकार के साथ किए एमओयू की शर्त संख्या 2.6.3 के तहत बैंक गारंटी राशि 21 करोड़ 50 लाख रूपये जब्त करने बाबत जिला कलक्टर एवं राजस्थान सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही /एमओयू निरस्त करने बाबत पारित आदेश की सत्यप्रतियां दी जावे।	कार्यालय जिला कलक्टर,श्रीगंगानगर के पत्रांक 8214 दिनांक 30.06.2021 (संलग्न) द्वारा प्रेषित नोटिस
2	श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज बनाने हेतु सरकार व बी डी अग्रवाल के साथ लिखित एमओयू के तहत [illegible] अग्रवाल द्वारा जमा करवाई गई गांरटी राशि 21 [illegible] 50 [illegible] रूपये बी डी अग्र[illegible] उत्तराधिकारी श्रीमती कामिनी जिंद[illegible] को वापिस लौटाने बाबत राजस्थान सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से हासिल अनुमति आदेश की सत्यापित प्रति दी जावे।	सूचना उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3	बी डी अग्रवाल की तथाकथित उत्तराधिकारी श्रीमती कामिनी जिंदल द्वारा गारंटी राशि वापिस लौटाने बाबत पेश आवेदन पत्र एवं अनुबंध अधिनियम के तहत पेश क्षतिपूर्ति बंध पत्र की सत्यप्रतियां दी जावे।	
4	बी डी अग्रवाल की तथाकथित उत्तराधिकारी श्रीमती कामिनी जिंदल द्वारा बैंक में जमा गांरटी राशि 21 करोड़ 50 लाख रूपये प्राप्त करने बाबत जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष पेश आवेदन पत्र पर स्वीकार करके जिला न्यायाधीश द्वारा प्रतिभूति राशि वापिस लौटाने बाबत पारित आदेश एवं कामिनी जिंदल द्वारा पेश क्षतिपूर्ति बंध पत्र की सत्यप्रति दी जावे।	
5	बी डी अग्रवाल की तथाकथित उत्तराधिकारी श्रीमती कामिनी जिंदल को प्रतिभूति राशि 21 करोड़ 50 लाख रूपये वापिस लौटाने बाबत जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश की सत्यप्रति दी जावे।	कार्यालय जिला कलक्टर के पत्रांक 3327 दिनांक 08.04.2022 (संलग्न) द्वारा प्रेषित नोटिस
6	जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा एमओयू निरस्त करने बाबत बी डी अग्रवाल को प्रेषित नोटिस एवं बी डी अग्रवाल द्वारा प्रेषित जवाब नोटिस की सत्यापति प्रतियां दी जावे।	कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पत्रांक 8214 दिनांक 30.06.2021 (संलग्न)
7	पंजाब नेशनल बैंक श्रीगंगानगर द्वारा जिला कलक्टर व राजस्थान सरकार के आदेश पर श्रीमती कामिनी जिंदल को गांरटी राशि 21 करोड़ 50 लाख रूपये वापिस लौटा कर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित सूचना व [illegible] बंध पत्र की सत्य प्रतियां दी जावे।	उपलब्ध नहीं है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

sd-
(हरि सिंह मीना)
अति.जिला कलक्टर (सतर्कता) एवं
प्रभारी अधिकारी विकास शाखा, कलक्ट्रेट,
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ. 41(1)(1)विविध/विकास/2023/6469 दिनांक 17.05.2021 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्कता प्रतीत नहीं होती है, फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि उसकी सूचना से सम्बन्धित रिकॉर्ड का पुनः अवलोकन करना चाहे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अवालोकन करवा देवें और पत्रावली में उपलब्ण्ध उसके द्वारा वांछित सूचना को, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested